थाना भमोरा जिला बरेली

प्रेस नोट दिनांक 15.11.2025

थाना भमोरा #bareillypolice द्वारा अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, 153.69 किलोग्राम गांजा (अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य लगभग 01 करोड़ रुपये) बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना भमोरा पुलिस व SOG टीम ने उड़ीसा से दिल्ली की ओर अंतर्राज्यीय स्तर पर गांजा की तस्करी करने वाले दो शातिर अभियुक्तों को 153.69 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाले सूखे गांजे सहित गिरफ्तार किया है। अभियुक्त उड़ीसा से गांजा लेकर दिल्ली सप्लाई करने जा रहे थे।

घटना का संक्षिप्त विवरण/परिचयः-

मादक पदार्थों की तस्करी एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 14.11.2025 की रात्रि में थाना भमोरा पुलिस टीम ने 02 शातिर अभियुक्तों को 153.69 किलोग्राम गांजा सहित पकड़ने में सफलता अर्जित की है। घटना के सम्बन्ध में थाना भमोरा पर मु0अ0सं0 527/25 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है।

सूचना, पुलिस टीम एवं कार्यवाहीः-

दिनांक 14.11.2025 की रात्रि में थाना भमोरा पुलिस एवं SOG टीम द्वारा क्षेत्र में नियमित वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान रम्पुरा तिराहे से विशारतगंज की ओर जाने वाले मार्ग पर रम्पुरा तिराहे से लगभग 200 मीटर दूर एक संदिग्ध ट्रक (रजि0 नं0 UK06CC1027) आता दिखाई दिया। दोनों अभियुक्त ट्रक छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने का प्रयास करने लगे। सतर्क पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्तों को मौके पर ही दबोच लिया। ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें से 153.69 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाला सूखा गांजा बरामद हुआ, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 01 करोड़ रुपये आंकी गई है। साथ ही घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। ट्रक को नियमानुसार सीज कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण कर उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग का विवरणः–

मु0अ0सं0 527/25 धारा 8/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना भमोरा जिला बरेली

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. आलम उर्फ अकरम पुत्र आबिद उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम पस्तौर थाना शाहबाद जिला रामपुर
2. इस्लाम खाँ पुत्र मिंडू खाँ उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम पस्तौर थाना शाहबाद जिला रामपुर

बरामदगी का विवरणः-

1. गांजा : 153.69 किलोग्राम (अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य करीब 01 करोड़ रुपये)
2. एक मोबाइल फोन
3. प्रयुक्त ट्रक : नं. UK06CC1027 (सीज)

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वे उड़ीसा से गांजा लोड करके दिल्ली निवासी राकेश यादव एवं ग्राम पस्तौर (रामपुर) निवासी फरमान पुत्र फारुख के लिए ला रहे थे। इन्हें उड़ीसा से आसकपुर स्टेशन (थाना बिसौली) तक माल पहुंचाने के लिए 40,000 रुपये दिए गए थे, जहां से आगे माल दिल्ली भेजा जाना था। हाईवे पर पुलिस चेकिंग की आशंका के चलते उन्होंने स्थानीय रास्ते का चुनाव किया था। दोनों अभियुक्त आर्थिक लाभ के लालच में इस अवैध धंधे में शामिल हुए थे।

पुलिस टीम का विवरणः-

1.श्री सनी चौधरी थानाध्यक्ष थाना भमोरा जनपद बरेली
2.SOG प्रभारी श्री सुनील शर्मा मय टीम जनपद बरेली
3.उ0नि0 हीरेन्द्र सिंह थाना भमोरा जनपद बरेली
4.उ0नि0 श्यामवीर सिंह थाना भमोरा जनपद बरेली
5.हे0कां0 मौहम्मद मोवीन थाना भमोरा
6.हे0कां0 अखलेश कुमार थाना भमोरा जनपद बरेली
7.कां0 मुस्तफा थाना भमोरा जनपद बरेली
8.कां0 चैतन्य प्रकाश थाना भमोरा जनपद बरेली